बिजली चोरों ने किया बीएसईएस टीम पर हमला, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट समेत दो अधिकारी घायल

हमले के बाद भी अधिकारियों ने जारी रखी कार्रवाई, 38 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी

- पांच हमलावर गिरफ्तार, 24 तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए
- हमलावरों को 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा
- गवर्नमेंट सर्वेंट पर हमला गैरजमानती अपराध है, जिसमें पांच साल तक की जेल का प्रावधान है
- चोरी की बिजली का इस्तेमाल अवैध मैन्युफैक्चरिंग और गैरकानूनी ढंग से ई–रिक्शा चार्ज करने में हो रहा था

नई दिल्लीः 15 नवंबर। पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में बिजली चोरों ने बीएसईएस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट समेत दो अधिकारी घायल हो गए। लेकिन, हमले के बाद भी बीएसईएस अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी और वे 38 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ने में कामयाब रहे। वहां चोरी की बिजली का इस्तेमाल अवैध मैन्युफैक्चरिंग और गैरकानूनी ढंग से ई–रिक्शा को चार्ज करने में किया जा रहा था। इस बीच, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बीएसईएस टीम पर हमला करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों को 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पब्लिक सर्वेंट पर हमला एक करना गैरजमानती अपराध है, जिसमें पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

जब बीएसईएस टीम ने मौजपुर स्थित सब्जी मंडी इलाके के सी–382 में बिजली की चोरी पकड़ी और उसके प्रमाण के तौर पर इस कार्रवाई की विडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, तो बिजली चोरों ने अधिकारियों पर अचानक हमला कर दिया गया। इस प्रॉपर्टी के मालिक सुरेंदर उर्फ पप्पी ने स्थानीय गुंडों के साथ मिलकर रॉड, सरिया, लाठी और मुक्कों से बीएसईएस अधिकारियों की पिटाई करनी शुरू कर दी। हमला होते देख बीएसईएस का एक अधिकारी 100 नंबर पर फोन करने में कामयाब तो हो गया, लेकिन गुंडे और क्रोधित हो गए और उन्होंने हमला तेज कर दिया। बीएसईएस टीम के साथ जो पुलिसकर्मी गए थे, उन्होंने हमले को रोकने की पूरी कोशिश की। अगर पुलिसकर्मी नहीं होते, तो यह हमला और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। पुलिसकर्मियों ने घायल बीएसईएस कर्मियों को अस्पताल भी पहुंचाया। हमला करने वालों के हौसले का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के जवानों की मौजूदगी के बावजूद वे बीएसईएस अधिकारियों पर हमला करने से बाज नहीं आए। हालांकि, यह अपनी तरह का कोई अकेला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में बीएसईएस टीम पर हमला हुआ था।

इस घटना के सिलसिले में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका नंबर 0635 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 186/ 353/ 332/ 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तार कर, न्यायिक हिरासत में भेजे गए लोगों के नाम हैं– सुरेंदर, जितिन, नीशू, प्रदीप और दीपक।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, बीएसईएस टीम पर यहां हुआ हमला अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। अनियमितताओं को चेक करने गईं बीएसईएस की टीमों पर असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन हमले किए जाते हैं। ये तत्व संगठित गैंग्स की तरह हमलों को अंजाम देते हैं। इन कथित संवेदनशील इलाकों में जब भी डिस्कॉम की टीमें जाती हैं, आपराधिक तत्व उन्हें घेर लेते हैं और उनके ऑफिशियल कार्य में बाधा डालते हैं। यहां बिजली की चोरी ने एक संगठित अपराध का रूप ले लिया है और इस पर काबू पाने के लिए पुलिस से और अधिक सक्रिय सहयोग की जरूरत है। ऐसे हमलों व गंभीर चुनौतियों के बावजूद बीएसईएस बिजली चोरी वाले इलाकों में अभियान चलाने व बिजली चोरी में और अधिक कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि बिजली की चोरी से न सिर्फ डिस्कॉम्स को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि इससे बिजली वितरण नेटवर्क पर भारी दबाव पड़ता है और अन्य उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है।

अत्यधिक बिजली चोरी वाले इलाके हैंः तुकमीरपुर, शेरपुर, सभापुर, उस्मानपुर, मौजपुर, जाफराबाद, चौहान बांगड़, वेलकम, घोंडा, गामरी, गोकलपुर, कबीर नगर, चांदनी महल, तुर्कमान गेट, दल्लुपुरा, नजफगढ़, जाफरपुर, मुंडका, बदरपुर, शाहीन बाग, आदि।

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।